

परिशिष्ट-I

(संदर्भ अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 6)

संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों को जनवरी 2013 तक पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का ब्योरा

क्र. सं.	विषय	पंरासं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियां	कार्य	कार्मिक
1.	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार है	हाँ	हाँ	हाँ
2.	भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4.	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5.	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6.	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7.	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8.	लघु उद्योग, जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है सहित	नहीं	हाँ	नहीं
9.	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10.	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11.	पेयजल	*	*	*
12.	ईंधन और चारा	*	*	*
13.	सड़के, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	*	*	*
14.	ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण है	नहीं	हाँ	नहीं
15.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17.	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है	हाँ	हाँ	हाँ
18.	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19.	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20.	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	नहीं	हाँ	नहीं
22.	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23.	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी है	हाँ	हाँ	हाँ
24.	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25.	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26.	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27.	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	*	*	*
29.	सामुदायिक संपत्तियों का अनुसूचन	*	*	*

(स्रोत : ग्रावि व पंरासं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं)

* हस्तांतरित लेकिन अस्थायी रूप से वापस लिए

परिशिष्ट -II

(संदर्भ अनुच्छेद 1.7; पृष्ठ 7)

31 मार्च 2012 को जिलेवार बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिला का नाम	जिसके विरुद्ध लम्बित उग्रप			
		ग्रावि के 13वां वित्त आयोग अनुदान	पंरावि के 13वां वित्त आयोग अनुदान	पंरावि के तृतीय राज्य वित्त आयोग अनुदान	पंरावि के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अनुदान
1.	अजमेर	27.59	12.67	2.20	16.14
2.	अलवर	75.98	26.39	11.60	32.97
3.	बांसवाड़ा	102.09	27.33	6.85	30.49
4.	बारां	40.30	14.65	0.79	17.35
5.	बाड़मेर	0.00	39.75	24.55	42.39
6.	भरतपुर	45.68	16.34	1.70	22.97
7.	भीलवाड़ा	31.76	22.19	1.72	26.15
8.	बीकानेर	103.25	23.86	9.56	29.72
9.	बूंदी	25.98	14.17	4.35	16.58
10.	चित्तौड़गढ़	21.98	12.14	5.80	19.82
11.	चुरू	145.08	14.65	0.71	23.21
12.	दौसा	36.99	15.23	5.52	21.98
13.	धौलपुर	28.41	13.63	4.10	14.57
14.	डूंगरपुर	12.75	9.61	0.51	13.12
15.	हनुमानगढ़	10.89	10.00	23.69	15.08
16.	जयपुर	122.14	30.89	4.34	41.98
17.	जैसलमेर	79.93	21.12	22.87	24.38
18.	जालोर	35.89	25.45	23.03	27.14
19.	झालावाड़	19.61	14.36	0.00	17.83
20.	झुन्झुनूं	22.84	18.48	3.77	23.80
21.	जोधपुर	75.44	31.18	7.06	37.02
22.	करौली	23.92	12.93	9.42	14.91
23.	कोटा	26.15	12.51	5.53	14.20
24.	नागौर	58.71	36.27	19.91	42.48
25.	पाली	56.19	24.72	7.69	28.73
26.	प्रतापगढ़	0.00	12.69	3.07	12.94
27.	राजसमंद	17.78	13.42	7.78	16.53
28.	सीकर	13.67	24.41	11.89	29.16
29.	सिरोही	10.25	11.59	7.33	14.54
30.	श्रीगंगानगर	31.33	17.99	4.71	26.53
31.	सवाईमाधोपुर	39.49	11.90	1.20	14.26
32.	टोंक	26.51	13.80	4.17	17.87
33.	उदयपुर	46.53	26.75	4.21	37.47
	कुल	1,415.11	633.07	251.63	784.31

(स्रोत : ग्रावि व पंरासं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं)

परिशिष्ट-III

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.1.1; पृष्ठ 12)

मनरेगा की संगठनात्मक संरचना

स्तर	योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी	कर्तव्य तथा दायित्व
राज्य स्तर	राज्य रोजगार गारन्टी परिषद	<ul style="list-style-type: none"> योजना के कार्यान्वयन, वरीयता कार्यों को निर्धारित करने, समय-समय पर अनुश्रवण तथा सुधार तंत्र की समीक्षा करने तथा राज्य विधायिका को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देना।
	राज्य ग्रामीण रोजगार गारन्टी आयुक्त	<ul style="list-style-type: none"> राज्य में योजना के कार्यान्वयन का समग्र रूप में पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण एवं योजना की प्रभाविता आंकलन के लिए प्रतिष्ठित अभिकरणों को सूचीबद्ध करना।
जिला स्तर	जिला पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> योजना के कार्यान्वयन के नियोजन तथा समीक्षा के लिए तथा जिला/ब्लॉक ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की कार्य योजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रमुख प्राधिकारी। परियोजनाओं के ब्लॉकवार परियोजना ढांचे को अंतिम रूप देना तथा अनुमोदित करना। स्वयं के प्रस्तावों तथा अन्य लाइन विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को निष्पादित करना। अधिनियम के कार्यान्वयन का समग्र रूप से पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
	जिला कार्यक्रम समन्वयक	<ul style="list-style-type: none"> जिला पंचायत को अपने कर्तव्य के निर्वहन में सहायता करना। ब्लॉक पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को परियोजनाओं ढांचे के लिए समेकित करना। कार्यक्रम अधिकारियों के निष्पादन की पर्यवेक्षण एवं के साथ समन्वय कर अनुमोदन करना। प्रगतिरत कार्यों का सामयिक निरीक्षण करना।
ब्लॉक स्तर	ब्लॉक पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> ब्लॉक स्तर पर नियोजन तथा कार्य की प्राथमिकता एवं कार्यान्वयन का अनुश्रवण।
	कार्यक्रम अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की तकनीकी सम्भाव्यता के लिए संवीक्षा करना। सुनिश्चित करना कि (i) कार्यों का निष्पादन जैसा निर्धारित था (ii) नियुक्त किए गए कामगारों की मजदूरी का भुगतान और (iii) सामाजिक अंकेक्षण।
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> कार्यों का आयोजन, परिवारों का पंजीकरण, जॉबकार्ड जारी करना, रोजगार आवंटन और योजना का क्रियान्वयन तथा सामाजिक अंकेक्षण का सम्पादन।
लाइन विभाग एवं अन्य	लाइन विभाग - वन, सिंचाई आदि	<ul style="list-style-type: none"> प्राक्कलनों को बनाने, नापनें और निष्पादित कार्यों के पर्यवेक्षण में तकनीकी सहायता प्रदान करना।
	गैर-सरकारी संगठन	<ul style="list-style-type: none"> कार्यों का निष्पादन आदि।

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.4; पृष्ठ 13)

चयनित जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	चयनित ईकाई		
	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
चरण-I			
1.	अजमेर	केकड़ी श्रीनगर	धून्धरी, घटयाली, गोस्था एवं सावर। धाणीरामनेर, गगवाना, घूघरा एवं बीर।
2.	अलवर	कटूमर उमरैण	झाड़ू, गंजपुर नूरपुर, खेरली रेल एवं तिगारीया। मोहब्बतपुर, पाला, पालखाडी एवं पृथ्वीपुरा।
3.	बाँसवाड़ा	आनन्दपुरी घाटोल	बारेट, चीकली तेजा, नाहरपुरा और पाटिया गालिया। बड़लिया, भागोरा का खेडा, घाटोल और जगपुरा।
4.	बाड़मेर	बाड़मेर सिन्धरी	बोला, बूठ जेटमल, इसरोल और लीलसर। खुड़ासा, लोलावा, मालपुरा और पायला कलां।
5.	बीकानेर	बीकानेर कोलायत	केसर देसर जाटान, पलाना, रिडमालसर पुरोहितान और थारूसर। बरसलपुर, भलूरी, गड़ियाला और घुडा।
6.	झालावाड़	डग झालरापाटन	चाडा, डोडी, पगारिया और पारापीपली। अश्नावर, दुर्गपुरा, कुन्डी खेड़ा और पिपालिया।
7.	जोधपुर	बिलाड़ा मण्डौर	हरियादा, ओल्वी, रामाशनी और रावर। डांगियावास, इन्द्रोका, खातियाशनी और लोहड़ी पंडितजी।
8.	करौली	हिण्डौन करौली	दानलपुर, महुखास, मंडावरा और पाटोदा। गराई, जहांगिरपुर, जमूरा और खेडिया।
चरण-II			
9.	भीलवाड़ा	बनेड़ा रायपुर सुवाणा	बबराना, बारां, बेरां, चमनपुरा, डाबला, राक्षी, कुण्डिया कलां, सालरीकलां सरदारनगर और उपरेडा। आशाहोली, बागर, बिन्टा, बोरियापुरा, झारोल, खेमाना, नारायण खेड़ा, पिथा, रायपुर और थाला। आटून, भोपालगढ़, दरीबा, गुण्दली, गुरला, महुवा कलां, रामपुरिया, सागवा, सुवाणा और स्वरूपगंज।
10.	बूंदी	नैनवा तालेड़ा	बाचोला, देई, गुरहा सदावरतियन, जेतपुर, खानपुरा, मानी, मरान, करवार, राजलावता और तालवास। अकतासा, बाजड़, बुद्धपुरा, डाबी, डोरा, जखमुण्ड, लाडपुर, लक्ष्मीपुरा, लीलेड ब्यासन और राजपुरा।
11.	चूरू	सरदारशहर तारानगर	अजीतसर, भोजसर, उपाधियान, बोधेरा, जैतसर, कल्याणपुरा, पुरोहितान, खींवरसर, कीकासर, मेलूसर, फोगा भारधरी और रूमलीसर। अलायला, बेन, भालेरी, धीरवास बाड़ा, गजूवास, कलवास, रायतुन्डा, रेडी, साहवा और सरायान।
12.	धौलपुर	धौलपुर राजाखेड़ा	बिपारपुर, बोथपुरा, कूकरा मकरा, करीमपुर, खुरेन्डा, मलोनी पंवार, नगला खारपुर, निधारिया पंवार, पचगाँव और सैपऊ। बाजना, बसाई धियाराम, बसाई कैरे, जाटोली, कासिमपुर खेरली, मांगरोल, नगर, सादापुर और सिकोरदा।

13.	डूंगरपुर	सागवाड़ा	बरबूदानिया, भीलूरा, डेंचा, दिब्रा, छोटा, हडमाला, कहेला, ओड, परवा, पीपला गुन्ज और वागेरी।
		सिमलवाड़ा	बाबा की बर, बांसिया, बाओरी, गुन्दलारा, जोरावर पुरा, माला खोलरा, नगरिया पांवेला, सकोदरा, सिन्डोला और सिमलवाड़ा।
14.	जयपुर	चाकसू	गरुडवासी, झापदाकलां, कादेड़ा, काठावाला, कुम्हारियावास, महादेवपुरा, मन्डालिया, निमोडिया, स्म्राहेडी खुर्द बापूगाँव के साथ और सवाईमाधोसिंहपुरा।
		फागी	चित्तोडिया, डाबिच, डिडावता, हरसोलिया, कांसेल, किशोरपुरा, लदाना, लसाडिया, पीपला और फागी।
		विराटनगर	बडौदिया, बागावास अहिरान, भामोद, भांखरी, छितौली, जाजेकलां, जोधपुरा, पूरावाला, रामपुरा और तुलसीपुरा।
15.	जैसलमेर	सम	बरसियाला, बिदा, छतनगर, फतेहगढ़, हाबूर, कपूरिया, खूहरी, लूनार, सम और सिपला।
		सांकड़ा	बलाड, बारठ का गांव, भानियाना, दांतल, केलवा, खेतोलाई, लाठी, नेरां, पनासर और राजमथाई।
16.	जालोर	रानीवाड़ा	अजोदर, अखराड, जाखडी, जलेरा खुर्द, जोरवास, कोरका, कूरा, रतनपुर, रूपसी और सिलासन।
		सांचौर	अमाई (अरनाई), दमाना, दांता, धांता, हरियाली, करोला, खाड़ा, नइनोल, पमाना और सुरावा।

परिशिष्ट-V

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.5.1 एवं 2.1.6.4; पृष्ठ 17 एवं 21)

मेट का पारिश्रमिक गलत तरीके से मजदूरी मद पर भारित करना तथा मजदूरी का देरी से/भुगतान नहीं करने का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	ब्लॉक का नाम	मेट का पारिश्रमिक गलत तरीके से मजदूरी मद पर भारित	मजदूरी का देरी से/भुगतान नहीं करने की राशि
1.	अजमेर	केकड़ी	0.04	2.00
		श्रीनगर	0.01	0.76
2.	अलवर	कटूमर	0.02	1.14
		उमरैण	0.15	0.48
3.	बाँसवाडा	आनन्दपुरी	0.01	0.44
		घाटोल	0.01	0.39
4.	बाड़मेर	बाड़मेर	-	0.72
		सिन्धरी	0.03	1.08
5.	भीलवाड़ा	बनेड़ा	0.03	2.11
		रायपुर	0.07	2.82
		सुवाणा	0.06	1.84
6.	बीकानेर	बीकानेर	0.01	1.32
		कोलायत	0.03	0.35
7.	बूंदी	नैनवा	0.02	1.89
		तालेड़ा	0.03	0.32
8.	चूरु	सरदारशहर	-	22.01
		तारानगर	-	0.32
9.	धौलपुर	धौलपुर	0.42	0.85
		राजाखेड़ा	0.14	1.98
10.	डूंगरपुर	सागवाड़ा	-	7.07
		सिमलवाड़ा	1.94	21.80
11.	जयपुर	चाकसू	0.94	5.60
		फागी	0.55	36.73
		विराटनगर	0.06	2.82
12.	जैसलमेर	सम	-	7.97
13.	झालावाड़	डग	0.02	0.34
		झालारापाटन	0.03	0.45
14.	जोधपुर	बालेसर	0.54	-
		बिलाड़ा	0.75	1.55
		लूणी	0.16	-
		मण्डोर	0.46	1.02
		शेरगढ़	0.30	-
15.	करौली	हिण्डौन	0.02	0.60
		करौली	0.01	0.28
16.	पाली	पाली	0.48	-
	योग		7.34	129.05

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.4; पृष्ठ 23)

चरण-I में नमूना जांच किए गए जिलों में कार्यों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी	गतिविधि	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	प्रतिशत
		पूर्ण कार्यों की संख्या किया गया व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या किया गया व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या किया गया व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या किया गया व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या किया गया व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या किया गया व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या किया गया व्यय	
I	जल संरक्षण एवं संचय	2,445	4798	5,134	3,953	3,622	756	20,708	19
		77.80	78.71	150.79	151.25	134.64	979.09	1,572	13
II	सूखा रोधन (वनीकरण और वृक्षारोपण सहित)	3,321	6,759	6842	7,227	8,221	25,919	25,919	
		69	114	517	442	815	230	2,187	2
III	सिंचाई नहर सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजना सहित	2.21	7.51	15.32	17.94	15.55	173.92	232	2
		142	393	830	2,060	2837	6,774	6,774	
IV	सिंचाई सुविधा का प्राक्धान (व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्य)	131	199	337	368	379	309	1,723	2
		3.46	6.85	15.92	13.95	28.02	110.94	179	2
V	पारम्परिक जल स्रोत के नवीनीकरण टैंकों की मिट्टी हटाने सहित	394	406	897	1,014	1,693	3,379	3,379	
		208	7239	14,472	24,656	8,365	2050	56,990	52
VI	भूमि विकास	0.72	51.5	58.87	148.53	77.25	1150.28	1,487	13
		165	15,599	26,032	16,301	21,402	38,638	38,638	
VII	बाढ़ नियंत्रण एवं एकत्रित जल क्षेत्रों में जल निकासी सहित सुस्था कार्य	884	422	1,264	1883	2148	349	6,950	6
		38.50	13.77	48.16	78.36	58.53	345.57	583	5
VIII	भूमि विकास	863	974	4644	3125	6147	13,131	13,131	
		157	573	390	490	688	1991	4,289	4
IX	बाढ़ नियंत्रण एवं एकत्रित जल क्षेत्रों में जल निकासी सहित सुस्था कार्य	3.75	5.84	7.26	10.93	85.97	644.56	758	6
		218	853	1,461	1648	2,835	15,610	15,610	
X	बाढ़ नियंत्रण एवं एकत्रित जल क्षेत्रों में जल निकासी सहित सुस्था कार्य	25	95	223	218	247	138	946	1
		0.65	6.25	7.49	9.94	4.36	112.16	141	1
XI	बाढ़ नियंत्रण एवं एकत्रित जल क्षेत्रों में जल निकासी सहित सुस्था कार्य	65	244	307	887	647	1850	1850	

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय)

श्रेणी	गतिविधि	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	प्रतिशत
VIII	बारहमासी पहुंच हेतु ग्रामीण सम्पर्कता उपलब्ध कराना	902	1183	4,057	4887	2,696	717	14,442	13
		24.1	34.52	152.26	218.25	114.76	1,091.60	1,635	14
IX	प्रगतिस्त कार्यों की संख्या	2,199	3,815	10,609	9565	10,158	30,306	30,306	
	पूर्ण कार्यों की संख्या	63	-	-	-	110	926	1,099	1
	किया गया व्यय	2.22	-	-	-	9.74	5,214.48	5,226	44
	प्रगतिस्त कार्यों की संख्या	136	-	5	-	1780	4,687	4,687	
योग	पूर्ण कार्यों की संख्या	4,884	14,623	26,394	36,897	19,070	7466	1,09,334	
	किया गया व्यय	153.41	204.95	456.07	649.15	528.82	9822.60	11,815	
	प्रगतिस्त कार्यों की संख्या	7,503	29,043	51,627	41,827	55,720	1,40,294	1,40,294	

(नोट : प्रगतिस्त कार्यों का योग वर्ष 2011-12 में दर्शाए गए कार्यों के समान है)

परिशिष्ट-VII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.4 और 2.1.7.5; पृष्ठ 24 एवं 28)

अपूर्ण कार्यों और गैर-अनुमत्य कार्यों पर व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	अपूर्ण कार्यों पर व्यय				गैर-अनुमत्य कार्यों पर व्यय	
	जिला	ब्लॉकों की संख्या	कार्यों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)	कार्यों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)
1.	अजमेर	8	89	4.30	-	-
2.	अलवर	2	215	11.14	61	4.80
3.	बांसवाडा	2	995	2.76	67	2.64
4.	बाड़मेर	2	67	0.80	2	0.28
5.	भीलवाडा	2	88	5.60	8	0.44
6.	बीकानेर	2	2,886	174.30	-	-
7.	बूंदी	2	100	4.73	-	-
8.	चित्तौड़गढ़	-	-	-	41	1.88
9.	चूरु	2	74	4.38	-	-
10.	धौलपुर	1	149	3.58	-	-
11.	डुंगरपुर	2	43	2.19	78	6.96
12.	जयपुर	2	72	6.27	1	0.11
13.	जैसलमेर	2	74	3.25	9	0.79
14.	जालोर	2	64	6.60	14	1.35
15.	झालावाड़	1	3	0.06	45	2.94
16.	जोधपुर	2	256	12.78	5	0.49
17.	करौली	1	1,184	33.97	102	4.86
18.	नागौर	-	-	-	3	0.25
19.	पाली	-	-	-	27	0.70
20.	प्रतापगढ़	-	-	-	7	0.34
21.	सीकर	1	10	0.41	-	-
22.	सिरोही	-	-	-	10	0.88
23.	टोंक	-	-	-	15	0.31
24.	उदयपुर	-	-	-	14	0.64
	योग		6,369	277.12	509	30.66

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.7.5; पृष्ठ 27)

कार्यों के मूल्यांकन से अधिक व्यय की स्थिति

क्र.स.	ब्लॉक	कार्यों की संख्या	अधिक व्यय (₹ लाख में)
1.	बाप	9	7.48
2.	बाड़मेर	46	4.17
3.	बीकानेर	5	3.90
4.	बिलाड़ा	2	0.20
5.	भीम	51	19.33
6.	डग	596	87.89
7.	घाटोल	7	4.12
8.	झालरापाटन	3	2.13
9.	करौली	3	2.75
10.	कटूमर	14	11.95
11.	केकड़ी	5	1.89
12.	कोलायात	2	2.68
13.	मण्डौर	2	0.95
14.	हुरड़ा	6	33.71
15.	श्रीनगर	1	3.08
16.	सुजानगढ़	37	21.46
17.	टोडारायसिंह	43	16.04
18.	उमरैण	4	3.31
	योग	836	227.04 लाख या ₹ 2.27 करोड़

परिशिष्ट -IX

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.11; पृष्ठ 33)

2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों में प्रबंधन सूचना प्रणाली और मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अन्तर दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम	जॉब कार्ड		दिया गया रोजगार		सृजित व्यक्ति दिवस		100 दिवसों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	
		ग्रापों के अभिलेखों के अनुसार	प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार	मासिक प्रगति प्रतिवेदन	प्रबंधन सूचना प्रणाली	मासिक प्रगति प्रतिवेदन	प्रबंधन सूचना प्रणाली		
1.	भीलवाड़ा	-	-	2.79	2.69	125.52	138.49	0.19	0.23
	सुवाणा	-	-	-	-	4.80	7.11	-	-
	चयनित ग्राप	-	-	-	-	1.66	1.94	-	-
2.	बून्दी	1.86	1.84	0.94	0.85	28.54	29.11	-	-
	नैनवा	0.41	0.43	0.21	0.19	5.59	5.60	-	-
	चयनित ग्राप	-	-	0.09	0.06	2.27	1.98	-	-
3.	चूरु	2.79	2.80	1.63	1.65	65.18	68.96	0.05	0.06
	तारानगर	-	-	0.18	0.19	7.69	7.82	-	-
	चयनित ग्राप	-	-	0.08	0.07	3.24	3.25	-	-
4.	धौलपुर	1.54	1.79	0.42	0.37	14.90	12.11	-	-
	राजाखेड़ा	0.36	0.49	0.08	0.09	2.92	2.81	-	-
	चयनित ग्राप	0.10	0.14	-	-	-	-	-	-
5.	डुंगरपुर	3.01	3.02	2.38	2.34	166.29	166.50	0.54	0.51
	सिमलवाड़ा	-	-	-	-	37.56	37.57	-	-
	चयनित ग्राप	0.12	0.14	0.10	0.11	7.10	6.95	0.03	0.02

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय)

क्र.सं.	ईकाई का नाम जिला/ब्लॉक/ग्रामपंच	जॉब कार्ड		दिया गया रोजगार		सृजित व्यक्ति दिवस		100 दिवसों का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	
		ग्रामपंच के अभिलेखों के अनुसार	प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार	मासिक प्रगति प्रतिवेदन	प्रबंधन सूचना प्रणाली	मासिक प्रगति प्रतिवेदन	प्रबंधन सूचना प्रणाली	मासिक प्रगति प्रतिवेदन	प्रबंधन सूचना प्रणाली
6.	जयपुर	-	-	2.06	2.05	61.83	71.10	0.03	0.05
	विराटनगर	-	-	-	-	2.95	2.96	-	-
	चयनित ग्रामपंच	0.06	0.07	-	-	0.71	0.72	-	-
7.	जैसलमेर	1.17	1.15	0.67	0.60	34.85	34.42	-	-
	सम	0.40	0.32	-	-	13.47	14.87	0.02	0.04
	चयनित ग्रामपंच	0.10	0.09	-	-	-	-	-	-
8.	जालोर	-	-	-	-	39.35	40.03	0.05	0.06
	सांचौर	0.36	0.38	0.14	0.15	7.34	8.04	0.00	0.01
	चयनित ग्रामपंच	-	-	0.06	0.05	2.97	2.82	-	-

(स्रोत : मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार)

परिशिष्ट -X

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.14.2; पृष्ठ 36)

जिकास और ब्लॉक स्तर पर किए गए निरीक्षण की स्थिति

जिला का नाम	अवधि	जिकास स्तर		कमी (प्रतिशत)	ब्लॉक स्तर	
		कार्य जिनका निरीक्षण होना है	निरीक्षित कार्य		कार्य जिनका निरीक्षण होना है	निरीक्षित कार्य
अजमेर	2008-09 से 2010-11	1,314	2,085	कमी नहीं	13,142	कमी नहीं
अलवर	2008-09 से 2010-11	964	1,635	कमी नहीं	9,631	कमी नहीं
बांसवाड़ा	2008-09 से 2010-11	4,298	3,556	742 (17)	42,979	27,107 (63)
बाड़मेर	2008-09 से 2010-11	7,909	2,565	5,344 (68)	79,085	65,520 (83)
बीकानेर	2008-09 से 2010-11	4,882	2,277	2,605 (53)	48,816	29,886 (61)
भीलवाड़ा	2008-09 से 2011-12	3,854	3,193	661 (17)	2,73,436	कमी नहीं
चूरू	2010-11 से 2011-12	1,020	436	584 (57)	3,294	2,585 (78)
धौलपुर	2008-09 से 2011-12	4,384	2,922	1,462 (33)	44,318	12,187 (27)
जैसलमेर	2007-08 से 2011-12	6,936	3,526	3,410 (49)	23,656	1,518 (6)
झालावाड़	2008-09 से 2010-11	2,023	985	1,038 (51)	20,235	12,605 (62)
जोधपुर	2008-09 से 2010-11	1,115	34	1,081 (97)	11,149	8,604 (77)
करौली	2008-09 से 2010-11	563	57	506 (90)	5,625	4,988 (89)

(स्रोत : मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)

परिशिष्ट-XI

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.6.2; पृष्ठ 42)

निधियों की कम प्राप्ति का वर्षवार विवरण

क्र.स.	जिला का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11		
		आवंटित निधि	जारी निधि	कटौती	आवंटित निधि	जारी निधि	कटौती	आवंटित निधि	जारी निधि	कटौती	आवंटित निधि	जारी निधि	कटौती
1.	बाड़मेर	33.59	33.59	शून्य	33.59	22.76	10.83	33.59	33.59	शून्य	33.59	33.59	शून्य
2.	बांसवाड़ा	16.78	16.78	शून्य	16.78	9.87	6.91	16.78	16.78	शून्य	16.78	16.78	शून्य
3.	चित्तौड़गढ़	21.34	21.34	शून्य	21.34	13.87	7.47	21.34	21.34	13.24	21.34	21.34	शून्य
4.	डूंगरपुर	15.04	15.04	शून्य	15.04	9.08	5.96	15.04	4.45	10.59	15.04	15.04	शून्य
5.	जैसलमेर	37.11	35.31	1.80	37.11	26.17	10.94	37.11	13.19	23.92	37.11	37.11	शून्य
6.	जालोर	20.45	20.45	शून्य	20.45	11.76	8.69	20.45	20.45	शून्य	20.45	20.45	शून्य
7.	झालावाड़	16.85	16.10	0.75	16.85	11.94	4.91	16.85	4.46	12.39	16.85	16.85	शून्य
8.	करौली	16.64	16.64	शून्य	16.64	9.61	7.03	16.64	7.50	9.14	16.64	16.64	शून्य
9.	सवाईमाधोपुर	15.70	15.70	शून्य	15.70	11.17	4.53	15.70	8.40	7.30	15.70	15.70	शून्य
10.	सिरोही	15.38	15.38	शून्य	15.38	8.87	6.51	15.38	5.67	9.71	15.38	15.38	शून्य
11.	टोंक	17.59	17.59	शून्य	17.59	12.31	5.28	17.59	17.59	शून्य	17.59	17.59	शून्य
12.	उदयपुर	24.52	24.52	शून्य	24.52	15.35	9.17	24.52	12.60	11.92	24.52	24.52	शून्य
	योग	250.99	248.44	2.55	250.99	162.76	88.23	250.99	152.78	98.21	250.99	250.99	शून्य

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट-XII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.6.6; पृष्ठ 45)

अनुपयोजित परिसम्पत्तियों का विवरण

क्र.स.	जिप का नाम	कार्य का नाम	कार्यपूर्ण होने की तिथि	व्यय	अभ्युक्तियां
1.	बाड़मेर	आवाड़ी भीमजी, ग्रापं, कामठाई में एएनएम आवास	15.01.2009	4.27	पूर्ण/काम में नहीं आया/लेखापरीक्षित इकाई द्वारा कारण नहीं बताए गए।
2.	बाड़मेर	टाकूबेरी, ग्रापं, कामठाई में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कार्यशाला	15.01.2009	2.12	पूर्ण/काम में नहीं आया/उपयुक्त स्थान पर नहीं।
3.	चित्तौड़गढ़	वार्ड सं. 10, नपामं, निम्बाहेड़ा में सार्वजनिक शौचालय	31.03.2009	8.21	पानी एवं विद्युत के अभाव में काम में नहीं आया।
4.	चित्तौड़गढ़	कच्ची बस्ती, नपामं, निम्बाहेड़ा में सार्वजनिक शौचालय	31.03.2010	3.83	पानी एवं विद्युत के अभाव में काम में नहीं आया।
5.	चित्तौड़गढ़	पालिका क्षेत्र, नपामं, निम्बाहेड़ा में नाला एवं पुलिया	31.03.2010	4.15	न्यायालय वाद होने के कारण एक तरफ से पुलिया बंद है तथा दूसरी तरफ सड़क नहीं है (केवल कच्चा रास्ता)।
6.	चित्तौड़गढ़	सतपुरा, पंस, चित्तौड़गढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्र	15.03.2008	2.00	भवन के हस्तांतरण के अभाव में काम में नहीं आया।
7.	जैसलमेर	वार्ड सं. 24, नपामं, जैसलमेर में कचरा संग्रहण केन्द्र	12.09.2008	2.58	उपयुक्त स्थान पर नहीं होने से काम में नहीं आया।
8.	जैसलमेर	आरपी कालोनी, नपामं, जैसलमेर में कचरा संग्रहण केन्द्र	13.09.2008	2.55	उपयुक्त स्थान पर नहीं होने से काम में नहीं आया।
9.	जैसलमेर	गम्फूर भट्टा क्षेत्र, नपामं, जैसलमेर में कचरा संग्रहण केन्द्र	13.09.2008	2.64	उपयुक्त स्थान पर नहीं होने से काम में नहीं आया।

(₹ लाख में)

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय)

क्र.स.	जिप का नाम	कार्य का नाम	कार्यपूर्ण होने की तिथि	व्यय	अभ्युक्तियां
10.	जैसलमेर	उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामदेवरा में हॉल	15.01.2009	5.00	बंद व स्कूल द्वारा काम में नहीं लिया गया/कारण नहीं बताया।
11.	जैसलमेर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामदेवरा	31.11.2009	7.00	केन्द्र केवल मेले के समय में ही काम आता है।
12.	जैसलमेर	अतिरिक्त कक्षा कक्ष, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांकड़ा	30.09.2008	5.00	काम में नहीं आया/ लेखापरीक्षित इकाई द्वारा कारण नहीं बताए गए।
13.	जैसलमेर	कम्प्यूटर कक्ष, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांकड़ा	30.09.2008	5.00	काम में नहीं आया/ लेखापरीक्षित इकाई द्वारा कारण नहीं बताए गए।
14.	जैसलमेर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांकड़ा में हॉल	15.03.2009	7.00	काम में नहीं आया/ लेखापरीक्षित इकाई द्वारा कारण नहीं बताए गए।
15.	जैसलमेर	पशु चिकित्सालय, सांकड़ा	15.03.2009	5.00	काम में नहीं आ रहा/ चिकित्सक की अनुपलब्धता
16.	उदयपुर	नपामं, फतेहनगर में वर्षा जल संग्रहण	21.04.2008	2.01	क्षतिग्रस्त (काम में नहीं आ रहा)। पानी नहीं ठहर सकता।
17.	उदयपुर	वार्ड सं. 5, नपामं, फतेहनगर में सार्वजनिक शौचालय	19.09.2009	2.88	पानी की अनुपलब्धता के अभाव में काम में नहीं आया।
18.	उदयपुर	वार्ड सं. 5, नपामं, फतेहनगर में आंगनबाड़ी केन्द्र	22.03.2009	2.40	भवन के हस्तांतरण के अभाव में काम में नहीं आया।
		योग		73.64	

परिशिष्ट-XIII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.1; पृष्ठ 66)

ननि एवं निदेशालय स्तर पर संधारित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों में अन्तर का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

ननि का नाम	कर राजस्व						गैर-कर राजस्व											
	2008-09		2009-10		2010-11		2008-09		2009-10		2010-11							
	ननि स्तर	निदेशालय अन्तर	ननि स्तर	निदेशालय अन्तर	ननि स्तर	निदेशालय अन्तर	ननि स्तर	निदेशालय अन्तर	ननि स्तर	निदेशालय अन्तर	ननि स्तर	निदेशालय अन्तर						
अजमेर	0.66	0.66	1.61	1.61	1.82	3.72	1.90	1.90	3.17	18.58	15.41	4.92	10.18	5.26	16.62	14.91	1.71	
बीकानेर	0.37	0.37	1.28	1.28	0.76	0.76	0.00	0.00	1.34	9.33	7.99	0.89	8.32	7.43	0.97	13.68	12.71	
जयपुर	12.28	12.28	18.60	61.30	21.34	56.34	35.00	46.58	158.94	112.36	61.15	65.71	4.56	50.39	110.14	59.75		
जोधपुर	0.47	0.28	1.13	42.53	41.40	1.86	1.86	0.00	9.69	11.82	2.13	9.10	21.76	12.66	19.23	43.99	24.76	
कोटा	0.13	0.13	0.30	0.30	2.24	11.49	9.25	6.21	14.47	8.26	6.45	6.45	11.86	5.41	8.08	0.85	7.23	
योग	13.91	13.72	0.19	22.92	107.02	84.1	28.02	74.17	46.15	66.99	213.14	146.15	82.51	117.83	35.32	95.29	183.57	106.16

(स्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं संबंधित नगर निगमों के वार्षिक लेखों से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार)

परिशिष्ट-XIV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 68)

संविधान में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण को दर्शाने वाला विवरण

अ. शहरी स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित कार्य	
1.	भू-उपयोग और भवन निर्माण का नियमन।
2.	गन्दी बस्ती विकास एवं उन्नयन।
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन।
4.	कब्र एवं कब्रिस्तान इत्यादि।
5.	जन्म-मृत्यु के पंजीयन सहित महत्वपूर्ण आंकड़ें।
6.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थान इत्यादि सहित जन सुविधाएं।
7.	पशुवध गृहों का नियमन।
8.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना।
9.	सड़कें एवं पुल।
10.	जन स्वास्थ्य एवं ठोस कचरा प्रबन्धन।
11.	अग्निशमन सेवाएं।
12.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण पहलुओं का उन्नयन।
13.	शहरी सुख सुविधाओं यथा पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का प्रावधान।
14.	विकलांगों एवं मानसिक विमन्दित लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना।
15.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विकास।
16.	पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम।
ब. कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को अभी हस्तान्तरित किए जाने हैं	
1.	कस्बों के नियोजन सहित नगर नियोजन।
2.	घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति।

परिशिष्ट-XV

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1.7.1; पृष्ठ 76)

भौतिक लक्ष्यों की कम प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृति की अवधि	कुल आवास	कुल व्यय	कुल निर्मित आवास	निर्मित आवासों का प्रतिशत
1.	अजमेर	1	18.60	14.12.2010	871	0.35	शून्य	शून्य
2.	बांसवाड़ा	1	4.23	05.08.2010	217	0.89	18	8.29
3.	बारां	4	65.19	28.09.2006 से 02.03.2012	2,158	9.09	60	2.78
4.	बाड़मेर	2	32.19	24.01.2008	1,728	15.24	848	49.07
5.	भीलवाड़ा	4	36.62	30.03.2006 से 02.03.2012	2,715	18.87	1,494	55.03
6.	बीकानेर	3	55.09	30.03.2006 से 28.02.2012	1,607	7.20	1	0.06
7.	चित्तौड़गढ़	6	97.17	28.09.2006 से 28.03.2012	3,778	15.93	198	5.24
8.	चूरु	1	49.44	02.03.2012	1,802	0.00	शून्य	शून्य
9.	हनुमानगढ़	4	97.04	21.03.2007 से 17.01.2011	3,625	23.55	345	9.52
10.	जैसलमेर	3	71.40	26.09.2007 से 26.09.2010	3,326	14.45	74	2.22
11.	जालोर	3	27.97	30.09.2008 से 27.01.2010	1,292	5.03	9	0.70
12.	झालावाड़	2	6.03	28.09.2006 से 21.03.2007	527	2.06	97	18.41
13.	जोधपुर	7	164.97	24.01.2008 से 28.02.2012	5,706	22.46	216	3.79
14.	कोटा	6	89.75	21.03.2007 से 02.03.2012	2,791	16.71	29	1.04
15.	पाली	9	66.96	28.09.2006 से 26.08.2010	4,678	34.69	1,250	26.72
16.	प्रतापगढ़	1	11.20	26.09.2007	711	7.34	253	35.58
17.	सवाईमाधोपुर	2	17.00	26.09.2007 से 29.10.2007	1,137	13.71	363	31.93

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय)

क्र. सं.	जिले का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत	स्वीकृति की अवधि	कुल आवास	कुल व्यय	कुल निर्मित आवास	निर्मित आवासों का प्रतिशत
18.	सीकर	1	5.44	28.09.2006	556	3.37	256	46.04
19.	सिरोही	2	29.29	29.09.2010 से 28.02.2012	1,175	2.17	शून्य	शून्य
20.	श्रीगंगानगर	2	51.44	30.09.2008 से 05.08.2010	2,085	14.00	53	2.54
21.	टोंक	2	13.92	30.03.2006 से 14.12.2010	520	5.33	136	26.15
22.	उदयपुर	1	24.55	20.12.2007	1,737	3.77	शून्य	शून्य
	योग	67	1,035.49		44,742	236.21	5,700	12.74

नोट : दो परियोजनाओं नामतः अलवर (2,456 आवास : ₹ 19.70 करोड़) और झालावाड़ (245 आवास : ₹ 4.58 करोड़) का परित्याग किया जा चुका था।

(स्रोत : राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-XVI

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1.7.2; पृष्ठ 78)

आईएचएसडीपी के अन्तर्गत राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा शस्थानि को कम जारी निधियों का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की दिनांक	परियोजना लागत	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को जारी की गई निधि, के द्वारा			राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा शस्थानि को जारी की गई निधि	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा रोकी गई निधि
				भारत सरकार	राज्य सरकार	योग		
1.	अनूपगढ़	05.08.2010	16.39	5.37	0.67	6.04	5.77	0.27
2.	बालोतरा	24.01.2008	8.48	5.47	0.68	6.15	4.74	1.41
3.	बारां	08.12.2006	9.70	7.37	0.92	8.29	8.12	0.17
4.	भादरा	17.01.2011	37.69	12.12	1.52	13.64	12.62	1.02
5.	भीलवाड़ा	21.03.2007	19.13	15.10	1.89	16.99	16.79	0.20
6.	बीकानेर चरण-II	30.09.2008	35.57	10.95	1.37	12.32	11.70	0.62
7.	बिलाड़ा	17.01.2011	13.96	4.68	0.58	5.26	2.63	2.63
8.	चित्तौड़गढ़ -II	05.08.2010	10.93	3.66	0.46	4.12	2.06	2.06
9.	छोटी सादड़ी	17.01.2011	9.22	3.10	0.39	3.49	1.75	1.74
10.	हनुमानगढ़	21.03.2007	22.25	17.54	2.19	19.73	14.25	5.48
11.	जैसलमेर-II	26.09.2010	32.81	10.94	1.37	12.31	6.15	6.16
12.	कैथून	26.08.2010	5.06	1.73	0.22	1.95	0.97	0.98
13.	केकड़ी	14.12.2010	18.60	6.38	0.80	7.18	3.59	3.59
14.	कोटा-II	09.02.2011	28.58	7.57	0.95	8.52	5.00	3.52
15.	पाली	21.03.2007	22.06	17.64	2.21	19.85	15.33	4.52
16.	प्रतापगढ़	26.09.2007	11.20	5.40	0.68	6.08	4.95	1.13
17.	रावतसर	26.08.2010	30.69	9.26	1.16	10.42	7.71	2.71
18.	रावतभाटा	14.12.2010	36.55	12.58	1.57	14.15	7.08	7.07
19.	सांगोद	14.12.2010	9.01	3.04	0.38	3.42	1.71	1.71
20.	सवाईमाधोपुर	29.10.2007	13.48	9.93	0.62	10.55	5.58	4.97
21.	सुमेरपुर	26.08.2010	10.36	3.32	0.41	3.73	1.87	1.86
22.	सूरतगढ़	30.09.2008	35.05	11.05	1.38	12.43	11.80	0.63
23.	टोंक-II	14.12.2010	9.45	2.99	0.37	3.36	1.68	1.68
महायोग			446.22	187.19	22.79	209.98	153.85	56.13

(स्रोत : राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- XVII

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1.8.1; पृष्ठ 79)

आईएचएसडीपी के अन्तर्गत शामिल किए गए गन्दी बस्ती विहीन शहरों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	स्वीकृति की दिनांक	किया गया व्यय
1.	आसींद	5.08	28.09.2006	2.06
2.	अनूपगढ़	16.39	05.08.2010	4.12
3.	अंता	27.62	28.02.2012	0.00
4.	बाली	3.30	28.09.2006	2.15
5.	बालोतरा	8.48	24.01.2008	6.97
6.	भवानी मण्डी	1.82	28.09.2006	1.30
7.	भादरा	37.69	17.01.2011	4.00
8.	भीलवाड़ा	19.13	21.03.2007	15.35
9.	भीनमाल	10.59	27.01.2010	1.53
10.	बेगूं	22.71	28.03.2012	0.00
11.	बिलाड़ा	13.96	17.01.2011	0.81
12.	छबड़ा	4.47	28.09.2006	3.28
13.	छोटी सादड़ी	9.22	17.01.2011	0.17
14.	देशनोक	16.20	28.02.2012	0.00
15.	फालना	4.46	11.10.2006	3.87
16.	गंगापुर सिटी	3.52	26.09.2007	1.20
17.	गुलाबपुरा	1.24	30.03.2006	1.46
18.	जैसलमेर	16.76	26.09.2007	5.67
19.	जैसलमेर-II	32.81	26.09.2010	2.77
20.	जैतारण	4.84	14.08.2008	0.97
21.	जालोर	7.90	30.09.2008	2.86
22.	झालरापाटन	4.21	28.09.2006	0.76
23.	कैथून	5.06	26.08.2010	0.47
24.	केकड़ी	18.60	14.12.2010	0.35
25.	मांगरोल	23.40	02.03.2012	0.00
26.	निम्बाहेड़ा	11.06	05.08.2010	3.72
27.	फलौदी	23.27	15.07.2009	5.10
28.	फलौदी-II	25.45	28.02.2012	0.00
29.	पीलीबंगा	6.41	29.09.2010	1.83
30.	पिण्डवाड़ा	13.26	29.09.2010	2.17
31.	पीपाड़ सिटी	24.76	28.02.2012	0.00
32.	पोकरण	21.83	15.07.2009	6.01
33.	प्रतापगढ़	11.20	26.09.2007	7.34

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	स्वीकृति की दिनांक	किया गया व्यय
34.	रामगंज मण्डी	2.69	02.03.2012	0.00
35.	रानी	0.79	28.09.2006	0.70
36.	रावतसर	30.69	26.08.2010	4.12
37.	रावतभाटा	36.55	14.12.2010	5.56
38.	सादड़ी	1.29	28.09.2006	1.06
39.	सांचौर	9.47	27.01.2010	0.63
40.	सांगोद	9.01	14.12.2010	0.30
41.	शाहपुरा	11.16	02.03.2012	0.00
42.	शिवगंज	16.03	28.02.2012	0.00
43.	सोजत सिटी	3.16	08.12.2006	2.06
44.	सुमेरपुर	10.36	26.08.2010	1.56
45.	सूरतगढ़	35.05	30.09.2008	9.88
46.	तख्तगढ़	16.69	15.07.2009	3.94
47.	टोंक-I	4.46	30.03.2006	5.33
48.	टोंक-II	9.45	14.12.2010	0.00
	योग	653.55		123.43

(स्रोत : जनगणना विभाग, जयपुर से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-XVIII

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1.8.2; पृष्ठ 81)

आईएचएसडीपी में गन्दी बस्ती मानी गई कच्ची बस्तियों और लाभार्थियों को जारी पट्टों का ब्योरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित कच्ची बस्तियों की संख्या	जारी पट्टों की संख्या	कच्ची बस्ती का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू-खण्डों का आकार (वर्गगज में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
1.	बाली	03	291	2.30 से 4.05	300 से 1,454.45	0.97
2.	बारां	10	368	उपलब्ध नहीं	120 से 274	1.77
3.	बाड़मेर	10	1,073	उपलब्ध नहीं	135.33 से 1,788.88	5.38
4.	हनुमानगढ़	20	314	0.43 से 64.75	112.50 से 211.55	1.26
5.	जैसलमेर-I	02	550	7 से 25	छितराए हुए लाभार्थी	1.51
6.	जैसलमेर-II	04	1,251	33.02 से 117.35	छितराए हुए लाभार्थी	1.91
7.	जालोर	08	122	उपलब्ध नहीं	121.33 से 916.64	0.42
8.	जोधपुर-I	13	313	उपलब्ध नहीं	174 से 230	0.87
9.	कोटा-I	34	321	उपलब्ध नहीं	126 से 152.77	1.02
10.	पाली	25	364	उपलब्ध नहीं	121 से 699	3.48
11.	पीलीबंगा	08	163	12.10 से 37.40	455 से 512	1.20
12.	पोकरण	08	555	3.91 से 23.59	128 से 6,000	2.62
13.	रावतभाटा	10	535	0.66 से 21.61	छितराए हुए लाभार्थी, किसी को भी अन्तिम किरत प्राप्त नहीं हुई	2.69
14.	रावतसर	05	532	16.99 से 33.99	41.69 से 3,267	4.66
15.	सवाईमाधोपुर	14	120	1.50 से 11	छितराए हुए लाभार्थी	1.76
16.	सुमेरपुर	07	234	0.98 से 11	200 से 888.89	1.31
17.	सूरतगढ़	15	471	6.23 से 111.14	715.44	3.26
18.	तख्तगढ़	12	142	1.79 से 70.40	120 से 450	1.46
	योग	208	7,719			37.55

(स्रोत : नमूना जांच की गई इकाइयों से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-XIX

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1.8.3; पृष्ठ 82)

आवासीय इकाईयों के असम्भाव्य निर्माण का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शस्थानि के नाम	संख्या	स्वीकृत राशि	असम्भाव्य कार्यों की संख्या	असम्भाव्य कार्यों की आनुपतिक राशि	अभ्युक्तियां
(अ) पुनर्वास						
1.	बिलाड़ा	56	76.67	56	0.77	सम्भव नहीं क्योंकि लाभार्थी अन्यत्र जाने में इच्छुक नहीं। पुनर्वास स्थल शहर से दूर।
2.	बाड़मेर	208	242.16	208	2.42	सम्भव नहीं क्योंकि लाभार्थी अन्यत्र जाने में इच्छुक नहीं।
3.	चित्तौड़गढ़-I	176	140.80	52	0.42	इच्छुक नहीं, परिवार का पक्का घर, बेचना, उच्च वोल्टता बिजली लाइन, गिरवी और लाभार्थी उपलब्ध नहीं के कारण सम्भाव्य नहीं।
4.	सीकर	556	430.96	300	2.32	निर्माण लागत बढ़ने से सम्भव नहीं।
5.	सवाईमाधोपुर	504	423.36	154	1.29	भूमि विवाद के कारण सम्भव नहीं।
6.	टोंक-II	384	538.08	384	5.38	अतिक्रमण एवं न्यायालय वाद।
	योग (अ)			1,154	12.60	
(ब) स्वस्थाने						
1.	बीकानेर चरण-II	1,041	1,614.21	975	15.12	अभ्यर्पित, गलत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन।
2.	बिलाड़ा	404	538.38	149	1.99	गोचर भूमि, सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण तथा विवादित भूमि के कारण सम्भव नहीं।
3.	बाली	110	88.00	51	0.41	विवाद, कमजोर आर्थिक स्थिति, लाभार्थी इच्छुक नहीं, मृत्यु और बेच दिया गया, इत्यादि कारणों से सम्भाव्य नहीं।
4.	चित्तौड़गढ़-II	380	505.21	25	0.33	इच्छुक नहीं, परिवार का पक्का घर, बेचना, उच्च वोल्टता बिजली लाइन, गिरवी और लाभार्थी उपलब्ध नहीं कारणों से सम्भाव्य

क्र. सं.	शस्थानि के नाम	संख्या	स्वीकृत राशि	असम्भाव्य कार्यों की संख्या	असम्भाव्य कार्यों की आनुपतिक राशि	अभ्युक्तियां
						नहीं।
5.	जैतारण	137	182.20	30	0.40	विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं।
6.	जोधपुर-I	691	929.08	508	5.83	विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं- लाभार्थी इच्छुक नहीं, मृत्यु और बेच दिया गया, गिरवी, जेडीए योजना, सड़क का हिस्सा इत्यादि।
7.	जोधपुर-II	1,566	2,105.55	666	8.95	लाभार्थी इच्छुक नहीं, पक्का घर, वन भूमि, अवैध पट्टा, नाले पर निर्मित, बेच दिया गया इत्यादि कारणों से सम्भाव्य नहीं।
8.	झालरापाटन	200	160.00	65	0.52	लाभार्थी इच्छुक नहीं, मृत्यु और बेच दिया गया, गिरवी और लाभार्थी उपलब्ध नहीं कारणों से सम्भाव्य नहीं।
9	जालोर	243	376.80	138	2.14	बेचना, डूब क्षेत्र, वन भूमि और राजस्व भूमि कारणों से सम्भाव्य नहीं ।
10.	केकड़ी	558	730.51	185	2.42	गलत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, निजी भूमि और डूब क्षेत्र कारणों से सम्भाव्य नहीं ।
11.	पिण्डवाड़ा	622	877.11	165	2.33	पक्का आवास, विवादित, गोचर भूमि, डूब क्षेत्र और कृषि भूमि कारणों से सम्भाव्य नहीं।
12.	पोकरण	705	1,244.68	164	2.90	विभिन्न कारणों से सम्भाव्य नहीं।
13.	तख्तगढ़	399	705.03	106	1.87	विभिन्न कारणों से सम्भाव्य नहीं।
	योग (ब)			3,227	45.21	
(स) उन्नयन						
1.	बिलाड़ा	114	62.57	35	0.19	स्वस्थाने आवास में ऊपर वर्णित जैसे कारणों से सम्भाव्य नहीं ।
2.	भीनमाल	525	529.36	276	2.78	संभव नहीं क्योंकि जल मग्न क्षेत्र, कमजोर आर्थिक स्थिति।
3.	बाली	181	89.61	69	0.34	स्वस्थाने आवास में ऊपर वर्णित जैसे कारणों से सम्भाव्य नहीं ।
4.	चित्तौड़गढ़-II	53	27.05	13	0.07	स्वस्थाने आवास में ऊपर वर्णित जैसे कारणों से सम्भाव्य नहीं ।

क्र. सं.	शस्थानि के नाम	संख्या	स्वीकृत राशि	असम्भाव्य कार्यों की संख्या	असम्भाव्य कार्यों की आनुपतिक राशि	अभ्युक्तियां
5.	चित्तौड़गढ़-I	364	120.12	110	0.36	स्वस्थाने आवास में ऊपर वर्णित जैसे कारणों से सम्भाव्य नहीं ।
6.	जैतारण	48	30.21	13	0.08	संभव नहीं - पक्का आवास, लाभार्थियों के नाम दोहराए गए, डूब क्षेत्र, दस्तावेज वैध नहीं और लाभार्थी स्थल पर उपलब्ध नहीं।
7.	झालरापाटन	213	104.36	75	0.37	स्वस्थाने आवास में ऊपर वर्णित जैसे कारणों से सम्भाव्य नहीं ।
8.	सोजत सिटी	148	58.51	48	0.19	संभव नहीं - निर्माण की न्यून राशि, रसोई और शौचालय का छोटा आकार।
9.	तख्तगढ़	236	245.16	196	2.04	विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं।
	योग (स)			835	6.42	
	महायोग			5,216	64.23	

(स्रोत : राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-XX

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1.8.3; पृष्ठ 82)

अवसंरचना के असम्भाव्य निर्माण का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कार्य का नाम	संख्या/लंबाई	राशि	असम्भाव्य कार्यों की संख्या	असम्भाव्य कार्यों की राशि	अभ्युक्तियां
1.	आसीद	सामुदायिक केन्द्र	5	0.36	1	0.07	भूमि उपलब्ध नहीं
2.	भीलवाड़ा	सीवरेज	-	6.50	-	6.50	गलत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के कारण बचत
3.	बारां	सामुदायिक केन्द्र	5	1.88	3	1.13	कार्यस्थल उपलब्ध नहीं
4.	बीकानेर	सार्वजनिक शौचालय	5	0.38	4	0.30	भूमि उपलब्ध नहीं
5.	भीनमाल	पार्क	1	0.10	1	0.10	भूमि विवाद
6.	पीलीबंगा	सामुदायिक केन्द्र	1	0.21	-	0.21	विवादित कार्यस्थल
		नाली	13.3 किमी	2.11	-	2.11	
		विद्युत कार्य	30 खम्भे	0.09	-	0.09	
		पार्क	1	0.22	-	0.22	
7.	झालरापाटन	जल आपूर्ति	4.58 किमी	0.30	4.58 किमी	0.30	आवश्यकता नहीं
		सीवरेज (सेप्टिक टैंक)	1245	0.48	1245	0.48	आवश्यकता नहीं
8.	जालोर	सामुदायिक केन्द्र	2	0.34	1	0.17	विवादित कार्यस्थल
9.	पाली	सामुदायिक केन्द्र	7	0.87	2	0.25	कार्यस्थल उपलब्ध नहीं
		रात्रि विश्राम केन्द्र	5	0.08	2	0.03	
		सार्वजनिक शौचालय	5	0.24	2	0.10	
10.	टोंक	सार्वजनिक शौचालय	5	0.33	2	0.13	आवश्यकता नहीं
		सामुदायिक केन्द्र	3	0.18	1	0.06	आवश्यकता नहीं
11.	रावतसर	सामुदायिक केन्द्र	2	0.48	1	0.24	भूमि की अनुपलब्धता
		बिजली	90 खम्भे	0.10	-	0.10	स्थान उपलब्ध नहीं
12.	सूरतगढ़	आजीविका	4	0.47	2	0.23	विवादित
13.	जैसलमेर-II	सामुदायिक केन्द्र	3	0.99	1	0.33	कार्यकारी संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई, प्रस्तावित मार्ग में झोपड़ियों और पक्के आवासों का अनियोजित अतिक्रमण
		सड़कें	22.086 किमी	1.91	-	1.91	
		नाली	41.926 किमी	2.12	-	2.12	
14.	पोकरण	आजीविका केन्द्र	3	0.35	1	0.12	विवादित
		बायोडायजेस्टर	8	0.52	7	0.45	विवादित
	योग					17.75	

(स्रोत : एसएलएनए से प्राप्त सूचनाएं) किमी - किलोमीटर

परिशिष्ट-XXI

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1.15; पृष्ठ 89)

सुधारों की कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति

सुधार	31 जनवरी 2013 तक
(अ) अनिवार्य सुधार	
(क) शस्थानि स्तर पर सुधार	
(i) शहरी स्थानीय निकायों में आधुनिक, उपाजर्न आधारित लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाना।	पूर्ण
(ii) शस्थानि द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए जीआईएस और एमआईएस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ई-गवर्नेंस प्रणाली शुरू करना।	पूर्ण
(iii) जीआईएस के माध्यम से संपत्ति कर में सुधार करना ताकि यह शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन सके तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था करना ताकि मिशन अवधि के अंदर संग्रहण कुशलता कम से कम 85 प्रतिशत तक पहुंच जाए।	पूर्ण होना शेष है
(iv) शस्थानि/अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं द्वारा इस उद्देश्य से उपयुक्त उपभोक्ता प्रभार लगाना ताकि प्रचालन और अनुक्षण की पूरी लागत की वसूली मिशन अवधि के भीतर हो जाए। तथापि, पूर्वोक्त के नगरों/कस्बों तथा अन्य विशेष श्रेणी राज्यों में प्रचालन और अनुक्षण प्रभारों की शुरुआत में कम से कम 50 प्रतिशत वसूली हो। ये शहर/कस्बे चरण-बद्ध ढंग से पूरी प्रचालन और अनुक्षण लागत वसूली करने में धीरे-धीरे सक्षम होने चाहिए।	पूर्ण
(v) शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय निकाय बजट में आंतरिक चिन्हीकरण।	पूर्ण
(vi) शहरी गरीबों के लिए समर्थ कीमतों में सेवा अवधि की सुझा बेहतर आवास, जल आपूर्ति, सफाई सहित बुनियादी सेवाओं का प्रावधान और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुझा के लिए सरकार की पहले से विद्यमान सार्वभौमिक सेवाओं का प्रदान करने की सुनिश्चितता।	पूर्ण
(ख) राज्य स्तरीय सुधार	
(i) चौहलसर्वे संविधान संशोधन में वर्णित विकेन्द्रीयकरण उपायों का कार्यान्वयन। राज्यों को अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कार्य नियोजन के साथ ही नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में शस्थानि की सार्थक संबद्धता/निलिप्तता को सुनिश्चित करना चाहिए।	करबों के नियोजन सहित नगर नियोजन (नगर नियोजन विभाग) एवं घरेलू औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जल आपूर्ति (जनस्वाअवि द्वारा निष्पादित) के अलावा 12वीं अनुसूचि में सूचीबद्ध अन्य सभी कार्य पूर्ण हो गए।

सुधार		31 जनवरी 2013 तक
(ii)	स्टायम शुल्क को युक्तिसंगत बनाना ताकि मिशन अवधि में से इसे पांच प्रतिशत तक लाया जा सके।	पूर्ण
(iii)	नागरिक सहभागिता को मान्यता देने के लिए समुदाय सहभागिता कानून लागू करना और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा संकल्पना को शुरू करना। आईएचएसडीपी - संशोधित दिशा-निर्देश 10।	पूर्ण
(iv)	पांच वर्षों की अवधि में निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को "नगर नियोजन कार्य" में सहभागी बनाना अथवा सौपना। शहरी क्षेत्रों में नागरिक रोवाएं प्रदान करने वाली सभी विशेष एजेंसियों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना और अन्तवर्ती सभी शहरी नागरिक सेवा प्रदाताओं के लिए उत्तरदायी मंच का निर्माण करना।	पूर्ण
(ब) वैकल्पिक सुधार		
(i)	शहरी भूमि हदबन्दी एवं विनियमन अधिनियम का निरसन।	पूर्ण
(ii)	मकान मालिकों व किरायेदारों के हितों में संतुलन बनाने हेतु किराया नियंत्रण कानून में संशोधन।	पूर्ण
(iii)	शस्थानि की मध्यावधि वित्तीय योजना की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रकटीकरण कानून लागू करना तथा सभी हितधारकों को तैमाही निष्पादन सूचना जारी करना।	पूर्ण
(iv)	भवनों के निर्माण, स्थलों के विकास आदि के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने हेतु उप-नियमों में संशोधन।	पूर्ण
(v)	कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु परिवर्तित करने के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचों का सरलीकरण।	पूर्ण
(vi)	शस्थानि में सम्पत्ति स्वत्व प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू करना।	पूर्ण नहीं
(vii)	प्रति-आर्थिक सहायता प्रणाली के साथ ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवास परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी एजेंसियों दोनों) में विकसित भूमि का कम से कम 20-25 प्रतिशत निर्धारित करना।	पूर्ण
(viii)	भूमि और संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया शुरू करना।	पूर्ण
(ix)	भविष्य में बनने वाले सभी भवनों में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाने और जल संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए उप-नियमों का संशोधन।	पूर्ण
(x)	रीसाइक्लड पानी का पुनः उपयोग करने के लिए उप-नियम।	पूर्ण
(xi)	प्रशासनिक सुधार अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं शुरू करके, सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुए पदों को न भरकर आदि के जरिए संस्थापना में कटौती करना तथा इस संबंध में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करना।	पूर्ण
(xii)	संरचनात्मक सुधार।	पूर्ण
(xiii)	सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना।	पूर्ण
(स्वतः राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी से प्राप्त सूचना)		

परिशिष्ट-XXII

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 91)

मोबाइल टॉवर के विरुद्ध बकाया पंजीयन एवं वार्षिक प्रभारों की राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखा परीक्षित इकाई का नाम	वर्ष जिसके लिए वसूली देय	मोबाइल टॉवरों की संख्या	वसूलनीय पंजीयन प्रभार ¹	वसूलनीय वार्षिक प्रभार ²	कुल वसूलनीय राशि	वसूल की गई राशि	शेष वसूलनीय राशि
नगर निगम								
1.	जोधपुर	2010-11	120	30.00	6.00	36.00	-	36.00
नगर परिषद								
2.	कोटा	2010-11	187	46.75	9.35	56.10	-	56.10
3.	उदयपुर	2010-11	151	37.75	7.55	45.30	-	45.30
नगर पालिका मंडल								
4.	अनूपगढ़	2010-12 (09/2011 तक)	09	1.35	0.90	2.25	1.00	1.25
5.	बड़ी सादड़ी	2010-12	06	0.90	0.60	1.50	-	1.50
6.	बयाना	2010-11	09	1.35	0.45	1.80	-	1.80
7.	बहरोड़	2010-11	20	3.00	1.00	4.00	-	4.00
8.	चिड़ावा	2010-11	16	2.40	0.80	3.20	0.25	2.95
9.	दौसा	2010-11	34	5.10	1.70	6.80	0.84	5.96
10.	देवगढ़	2010-12	07	1.05	0.70	1.75	-	1.75
11.	देवली	2010-11	06	0.90	0.30	1.20	-	1.20
12.	कानोड़	2010-12	04	0.60	0.40	1.00	-	1.00
13.	मेड़तासिटी	2010-11	11	1.65	0.55	2.20	-	2.20
14.	नदबई	2010-11	10	1.50	0.50	2.00	0.80	1.20
15.	नागौर	2010-11	06	0.90	0.30	1.20	-	1.20
16.	नवलगढ़	2010-11	06	0.90	0.30	1.20	-	1.20
17.	निम्बाहेड़ा	2010-11	13	1.95	0.65	2.60	-	2.60
18.	पिलानी	2010-11	11	1.65	0.55	2.20	-	2.20
19.	राजगढ़	2010-11	05	0.75	0.25	1.00	-	1.00
20.	सवाईमाधोपुर	2010-11	36	5.40	1.80	7.20	-	7.20
21.	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	2010-12 (08/2011)	07	1.05	0.70	1.75	-	1.75
22.	शाहपुरा (जयपुर)	2010-11	07	1.05	0.35	1.40	-	1.40
	योग		681	147.95	35.70	183.65	2.89	180.76 या ₹ 1.81 करोड़

- नगर निगमों/नगर परिषदों के क्षेत्रों में ₹ 25,000 प्रति टॉवर तथा नगर पालिका मंडल के क्षेत्र में ₹ 15,000 प्रति टॉवर की दर से।
- सभी नगर निकायों के क्षेत्र में ₹ 5,000 प्रति वर्ष प्रति टॉवर की दर से (लाइसेन्स प्रभार)।

परिशिष्ट-XXIII

संक्षिप्त शब्दों का शब्दकोष

अमुकाअ	:	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अजा	:	अनुसूचित जाति
अजजा	:	अनुसूचित जनजाति
उप्रप	:	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
इगांपंरासं	:	इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान
करिशमा	:	एकीकृत प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण स्वचालित शोधन
किमी	:	किलोमीटर
केप्रयो	:	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना
ग्राकानि	:	ग्रामीण कार्य निर्देशिका
ग्रापं	:	ग्राम पंचायत
ग्राविवि	:	ग्रामीण विकास विभाग
ग्रावि एवं पंरावि	:	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्राविप्र	:	ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ
जस्वाअवि	:	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
जिप	:	जिला परिषद
जिप्रा	:	जिला प्राधिकरण
जिकास	:	जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिग्राविअ	:	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
जिप ग्राविप्र	:	जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ
जिदुउसस	:	जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति
टीजीएस	:	तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण
एलएफएडी	:	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग
ननि	:	नगर निगम
नप	:	नगर परिषद
नपामं	:	नगर पालिका मंडल
निमलेप	:	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
पंरासं	:	पंचायती राज संस्था
पंस	:	पंचायत समिति
पंरावि	:	पंचायती राज विभाग
पंप्र	:	पंचायत प्रकोष्ठ
बीपीएल	:	गरीबी रेखा से नीचे
मिमी	:	मिली मीटर
मनरेगा	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम
मुकाअ	:	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रानपालेमै	:	राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैनुअल

संक्षिप्त शब्दों का शब्दकोष		
रानपालेनि	:	राजस्थान नगर पालिका लेखा नियम
रानपाअ	:	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम
रानपानि	:	राजस्थान नगर पालिका नियम
रापंराअ	:	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
रापंरानि	:	राजस्थान पंचायती राज नियम
रारोगाप	:	राज्य रोजगार गारण्टी परिषद
राविआ	:	राज्य वित्त आयोग
राप्रयो	:	राज्य प्रवर्तित योजना
रारापपनि	:	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
विस्थाक्षेवियो	:	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
वैट	:	मूल्य संवर्धित कर
स्वग्रास्वयो	:	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
स्वाशावि	:	स्वायत्त शासन विभाग
सांस्थाक्षेवियो	:	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
शस्थानि	:	शहरी स्थानीय निकाय